<u>रजिस्टर्ड</u>

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—स. 3(9)(06)स्था./मंत्रा/अभि/2016/ 1980-83 दिनांक :— 7/2/18

प्रेषितिः—

श्रीमती ममता कुमारी पत्नी स्व. श्री जगदीश गंडासिया,
निवासी :— ग्राम खेडली गंडासिया,
तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज.) 321028

विषयः— मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने बावत।

सन्दर्भः— निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रंमाक 4429 दिनाक 21.04.16, 7764 दिंनाक 13.07.16, 11638 दिंनाक 21.10.16, 13334 दिंनाक 01.12.16, 3490 दिंनाक 15.03.17, 7019—20 दिंनाक 04.05.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रो के द्वारा आपको मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही से पूर्व चरित्र एंव पूर्ववृत्त सत्यापन के तीन प्रपत्र, नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति की सहमति का पत्र तथा शपथ पत्रो का एक सेट बाद पूर्ति मय स्वयं के शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजात एंव अन्य प्रमाण पत्रों के इस निदेशालय में जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये थे, जो अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आदिंनाक तक भी बाद पूर्ति प्रेषित नहीं किये गये है।

अतः पुन अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये लेख है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेजात इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस में इस निदेशालय में प्रस्तुत करावें ताकि मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड—द्वितीय) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के संम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा, तथा निर्धारित समयावधि में आपके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आपका अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र मूल ही निरस्त किये जाने हेतु कार्मिक (क—2) विभाग को भिजवा दिया जावेगा, जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी होगी।

-sd

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग शासन सचिवालय राज. जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सहायक निदेशक अभियोजन भरतपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्त पदाभिलाषी को विशेष वाहक द्वारा उक्त पत्र की तामिल करवाकर स्थिति से अविलम्ब अवगत करावें।

7/2/18

निदेशक अभियोजन
राजस्थान,जयपुर